



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 767]

नई दिल्ली बुधवार, नवम्बर 2, 2016/ कार्तिक 11, 1938

No. 767]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 2, 2016/KARTIKA 11, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2016

सा.का.नि. 1033(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिसे केंद्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 27 और 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, को उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा संभाव्य प्रभावित सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जब इस अधिसूचना की प्रतियां, भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित, आम जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा।

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, संयुक्त सचिव, परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भेजी जा सकेगी।

कोई आक्षेप या सुझाव, जो किसी व्यक्ति से उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के भीतर प्राप्त किए जाते हैं, पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (.....संशोधन) नियम, 2016 है।
- (2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है), नियम 2 में,
- (i) उसके खंड (i) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित खंड (i) से पूर्व निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
- ‘(i) “वर्ग L” से चार पहियों से कम वाले मोटरयान अभिप्रेत हैं।’।
- (ii) उपनियम (I) में, टिप्पण में,
- (क) शब्द, अक्षर और अंक “उपाबंध – 1 का एआईएस-053 : 2005,” के स्थान पर शब्द, अक्षर और अंक “आई एस 14272 :2011 का एनक्स ए ;” रखे जाएंगे ;
- (ख) शब्द, अक्षर और अंक “जब तक तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देश भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन अधिसूचित नहीं किए जाते हैं” का लोप किया जाएगा ;
- (iii) उपनियम (ण) में -
- (क) अक्षर और अंक “एआईएस 053:2005,” के स्थान पर अक्षर और अंक “आईएस 14272:2011,” रखे जाएंगे ;
- (ख) शब्द, अक्षर और अंक “जब तक तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देश भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन अधिसूचित नहीं किए जाते हैं” का लोप किया जाएगा ;
- (iv) उपनियम (द) में -
- (क) अक्षर और अंक “एआईएस 053:2005,” के स्थान पर अक्षर और अंक “आईएस 14272:2011,” रखे जाएंगे ;
- (ख) शब्द, अक्षर और अंक “जब तक तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देश भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन अधिसूचित नहीं किए जाते हैं” का लोप किया जाएगा ;
3. मूल नियमों में, नियम 104 में, -
- (i) उपनियम (2) का लोप किया जाएगा;
- (ii) उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-
- “(4) इस नियम में और नियम 110 में निर्दिष्ट रिफ्लेक्टर्स नए माडलों की दशा में 1 अक्टूबर, 2017 को और उसके पश्चात् विद्यमान माडलों की दशा में, जब तक भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देश अधिसूचित नहीं किए जाते हैं, 1 अप्रैल, 2018 को और उसके पश्चात् विनिर्मित यानों के लिए समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-057 (रेव 1) : 2010 के अनुरूप रिफ्लैक्स टाइप होंगे।”;
- (iii) उप नियम (5) का लोप किया जाएगा।

4. मूल नियम में, नियम 104ख में, उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट रिफ्लेक्टर्स 1 अक्टूबर, 2017 को और उसके पश्चात् जब तक भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देश अधिसूचित नहीं किए जाते हैं, विनिर्मित कृषि ट्रैक्टरों के लिए समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-057 (रेव 1) : 2010 के अनुरूप रिफ्लैक्स टाइप होंगे।”;

5. मूल नियम में, नियम 104ग में, उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(1) एआईएस 057 (रेव-1):2010के अनुरूप, समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देश अधिसूचित नहीं किए जाते हैं, नए माडलों की दशा में, 1 अक्टूबर, 2017 को और उसके पश्चात् विद्यमान माडलों की दशा में 1 अप्रैल, 2018 और उसके पश्चात् विनिर्मित प्रत्येक पावर टिलर में, पावर टिलर के सामने 7 वर्ग सें.मी. रिफ्लैकिंग क्षेत्र से अन्यून दो सफेद रिफ्लेक्स रिफ्लैक्ट फिट किए जाएंगे और जो, प्रत्येक ओर एक होगा और रात को सामने से आने वाले यानों को दिखाई देगा।”

6. मूल नियमों में, नियम 110 में, दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यह और भी कि 1 अक्टूबर, 2017 को और उसके पश्चात् विनिर्मित 1400 एमएम से अनधिक समग्र चौड़ाई सहित तीन पहियों के नए माडलों की दशा में और 1 अप्रैल, 2018 को और उसके पश्चात् विनिर्मित से अनभिन्न समग्र चौड़ाई सहित तिपहियों के विद्यमान माडलों की दशा में उपरोक्त परंतुक लागू नहीं होगा।”

7. मूल नियमों में, नियम 124क में, -

(i) उपनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(1क) जब तक समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देश अधिसूचित नहीं किए जाते हैं, 1 अक्टूबर, 2017 को और उसके पश्चात् विनिर्मित कृषि ट्रैक्टरों पर उपयोग में लाए गए उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट लाइटिंग और लाइट सिगनलिंग डिवाइस के बल्ब एआईएस – 034 (भाग 1) (रेव 1) : 2010 के अनुरूप होंगे :

परंतु एआईएस – 034 (भाग 1) (रेव 1) : 2010 में विनिर्दिष्ट बल्बों के एस 1 और सी 21 वर्ग 1 अक्टूबर, 2017 को और उसके पश्चात् विनिर्मित कृषि ट्रैक्टरों पर ऊपर विनिर्दिष्ट लाइटिंग और लाइट सिगनलिंग डिवाइस में उपयोग में नहीं लाए जाएंगे :

परंतु यह और कि एआईएस – 034 (भाग 1) (रेव 1) : 2010 में विनिर्दिष्ट बल्बों के आर 2 वर्ग 1 अप्रैल 2017 को और उसके पश्चात् विनिर्मित कृषि ट्रैक्टरों के लिए हैड लैंप में उपयोग के लिए अनुज्ञात नहीं किए जाएंगे।”;

(ii) उपनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(2-क) 1 अक्टूबर, 2017 को और उसके पश्चात् विनिर्मित कृषि ट्रैक्टरों के लिए लाइटिंग और लाइट सिगनलिंग डिवाइस समय समय पर यथासंशोधित एआईएस – 034 (भाग 1) (रेव 1) : 2012 के अनुसार होगी जब तक समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देश अधिसूचित नहीं किए जाते हैं।”;

(iii) उपनियम (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(5क) 1 अक्टूबर, 2017 को और उसके पश्चात् कृषि ट्रैक्टर में यांत्रिक कपलिंग एआईएस – 091 (भाग 2) : 2012 के अनुसार होगी जब तक समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देश अधिसूचित नहीं किए जाते हैं।”;

(iv) उपनियम (13) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(14) 1 अक्टूबर, 2017 को और उसके पश्चात् कृषि ट्रैक्टरों की फ्रंट कपलिंग डिवाइस एआईएस – 109 : 2012 के अनुसार होगी जब तक समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देश अधिसूचित नहीं किए जाते हैं।”;

8. मूल नियमों में, नियम 124ख में, -

(i) उपनियम (1) में

(क) शब्द, “पावर टिलर पर उपयोग में लाए गए लैंप और बल्ब” के स्थान पर “ नए माडलों की दशा में, 1 अक्टूबर, 2017 को और विद्यमान माडलों की दशा में 1 अप्रैल, 2018 को और उसके पश्चात् विनिर्मित पावर टिलर पर निम्नलिखित लाइटिंग और लाइट सिगनलिंग डिवाइस पर उपयोग में लाए गए बल्ब” रखे जाएंगे ;

(ख) शब्द और अंक "ए आई एस 034 : 2014" के स्थान पर शब्द और अंक "एआईएस – 034 (भाग 1) (रेव 1) : 2010" रखे जाएंगे;

(ग) उपनियम (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्

"परंतु समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस – 034 (भाग 1) (रेव 1) : 2010 में विनिर्दिष्ट बल्बों के एस 1 और सी 21 वर्ग इस उपनियम में विनिर्दिष्ट तारीखों को और उनके पश्चात् विनिर्मित पावर टिलर पर ऊपर विनिर्दिष्ट लाइटिंग और लाइट सिगनलिंग डिवाइस में उपयोग हेतु अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :

परंतु यह कि समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस – 034 (भाग 1) (रेव 1) : 2010 में विनिर्दिष्ट बल्बों के आर 2 वर्ग 1 अप्रैल, 2017 को और उसके पश्चात् विनिर्मित पावर टिलर के लिए हैंड लैंप में उपयोग के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।"

9. मूल नियमों में, नियम 125 में, उपनियम (2) में, -

(i) पहले परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :-

" परंतु यह कि - (क) नए माडलों की दशा में 1 अक्टूबर, 2017 को और उसके पश्चात् और विद्यमान माडलों की दशा में 1 अप्रैल, 2018 को और उसके पश्चात् विनिर्मित एल 5 वर्ग (तिपहिया यान) बिना बॉडीवर्क के लिए और एल 1 और एल 2 वर्ग (दोपहिया यान), रियर व्यूह मिरर विनिर्देश और स्थापन अपेक्षाएं जब तक समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देश अधिसूचित नहीं किए जाते हैं क्रमशः एआईएस – 001 (भाग 2) (रेव 1) : और एआईएस – 002 (भाग 2) (रेव 1) 2010 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे ।";

(ख) नए माडलों की दशा में 1 अक्टूबर, 2017 को और उसके पश्चात् और विद्यमान माडलों की दशा में 1 अप्रैल, 2018 को और उसके पश्चात् विनिर्मित एल 5 वर्ग (तिपहिया यान) बिना बॉडीवर्क के लिए और रियर व्यूह मिरर विनिर्देश और स्थापन अपेक्षाएं जब तक समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देश अधिसूचित नहीं किए जाते हैं क्रमशः एआईएस – 001 (भाग 1) (रेव 1) : 2011 और एआईएस – 002 (भाग 2) (रेव 1) 2010 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे ।";

(ग) नए माडलों की दशा में 1 अक्टूबर, 2017 को और उसके पश्चात् और विद्यमान माडलों की दशा में 1 अक्टूबर, 2018 को और उसके पश्चात् विनिर्मित एम और एन वर्ग यान के लिए रियर व्यूह मिरर विनिर्देश और स्थापन अपेक्षाएं जब तक समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देश अधिसूचित नहीं किए जाते हैं क्रमशः एआईएस – 001 (भाग 1) (रेव 1) : 2011 और एआईएस – 002 (भाग 1) (रेव 1) 2011 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे ।";

(ii) 1 अक्टूबर, 2016 को और उसके पश्चात्, तीसरे परंतुक में अक्षर और अंक “एआईएस – 001:2001” के स्थान पर “एआईएस – 001:2001(भाग 1) (रेव 1) 2011” अक्षर, अंक, कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे।

10. मूल नियमों में, नियम 125ज के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा,-

“125झ. कृषि ट्रेलरों का विनिर्माण और अनुमोदन – इन नियमों के अनुपालन के लिए 1 अप्रैल, 2018 को और उसके पश्चात् विनिर्मित कृषि ट्रेलरों का परीक्षण और अनुमोदन समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस – 112:2012 के अनुसार होगा जब तक समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देश अधिसूचित नहीं किए जाते हैं।”;

11. मूल नियमों में, नियम 126 में, विद्यमान परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“ परंतु यह और कि इन नियमों के अनुपालन के लिए कृषि ट्रैक्टरों के प्रकार, अनुमोदन और प्रमाणन के लिए प्रक्रिया समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस -017 भाग 2) (रेव 2) :2016 के अनुसार होगी।”;

[फा. सं. आरटी-11028/11/2014-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं. सा.का.नि..... (अ), तारीख..... को संशोधित किए गए।

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 2016

**G.S.R. 1033(E).**—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sections 27 and 110 of Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, may be sent to the Joint Secretary (Transport), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110001, within the period specified above.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules within the expiry of the period so specified will be considered by the Central Government.

### DRAFT RULES

- (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (\_\_\_\_\_Amendment) Rules, 2016.
- (2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred as the principal rules), in rule 2,
- (i) Clause (i) shall be numbered as clause (ia) thereof and before clause (ia) as so numbered, the following clause shall be inserted, namely:-
- ‘(i) “Category L” means motor vehicles with less than four wheels.’;
- ii) in sub-rule (l), in the Note-
- (a) for the words and figures “Annexure I of AIS 053:2005,” the words, letters and figures “Annex A of IS 14272: 2011,” shall be substituted;
- (b) the words, letters and figures “till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986)” shall be omitted.
- iii) in the sub-rule (o)-
- (a) for the letters and figures “AIS 053:2005,” the letters and figures “IS 14272: 2011,” shall be substituted;
- (b) the words, letters and figures “till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986)” shall be omitted.
- iv) in sub-rule (r)-
- (a) for the letters and figures “AIS 053:2005,” the letters and figures “IS 14272: 2011,” shall be substituted;
- (b) the words, letters and figures “till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986)” shall be omitted.
3. In the principal rules, in rule 104,-
- (i) sub-rule (2) shall be omitted;
- (ii) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
- “(4) The reflectors referred to in this rule and in rule 110 shall, for vehicles manufactured on and after the 1<sup>st</sup> day of October, 2017 in the case of new models and on and after the 1<sup>st</sup> day of April, 2018 in the case of existing models, be of reflex type conforming to AIS-057 (Rev 1) : 2010 as amended from time to time, till such time corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act,1986 (63 of 1986).”;
- iii) sub-rule (5) shall be omitted.
4. In the principal rules, in rule 104B, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
- “(2) The reflectors referred to in sub-rule (1) shall, for agricultural tractors manufactured on and after the 1<sup>st</sup> day of October, 2017, be of reflex type conforming to AIS-057 (Rev.1) : 2010, as amended from time to time, till such time corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act,1986 (63 of 1986).”.
5. In the principal rules, in rule 104C, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
- “(1) Every power tiller manufactured on and after the 1<sup>st</sup> day of October, 2017 in the case of new models and on and after the 1<sup>st</sup> day of April, 2018 in case of existing models, shall be fitted with two white reflex reflectors of not less than 7 square centimeter reflecting area in front of the power tiller, and one on each side and visible to oncoming vehicles from the front at night, conforming to AIS-057 (Rev.1) : 2010, as amended from time to time, till such time corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act,1986 (63 of 1986).”.

6. In the principal rules, in rule 110, after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:
- “Provided also that the above proviso shall cease to be applicable in the case of new models of three wheelers with overall width not exceeding 1400 mm manufactured on and after the 1<sup>st</sup> day of October, 2017 and in the case of existing models of three wheelers with overall width not exceeding manufactured on and after the 1<sup>st</sup> day of April, 2018.”.
7. In the principal rules, in rule 124A,-
- (i) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely,-
- “(1a) The bulbs of the lighting and light-signaling devices specified in sub-rule (1) used on agricultural tractors manufactured on and after the 1<sup>st</sup> day of October, 2017, shall conform to AIS-034 (Part 1) (Rev.1) : 2010, as amended from time to time, till such time the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act,1986 (63 of 1986):
- Provided that the S1 and C21 categories of bulbs specified in AIS-034 (Part 1) (Rev.1): 2010 shall not be used in lighting and light-signaling devices specified above on agricultural tractors manufactured on and after 1<sup>st</sup> day of October, 2017:
- Provided further that the R2 category of bulbs specified in AIS-034 (Part 1) (Rev 1): 2010 shall not be permitted for use in headlamps for agricultural tractors manufactured on and after the 1<sup>st</sup> day of October, 2017.”;
- (ii) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:-
- “(2-a) The lighting and light-signaling devices for agricultural tractors manufactured on and after 1<sup>st</sup> day of October 2017, shall be in accordance with AIS-030 (Rev.1) : 2012, as amended from time to time, till such time the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986).”;
- (iii) after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted, namely:-
- “(5a) On and after the 1<sup>st</sup> day of October, 2017, the mechanical couplings in agricultural tractor shall be in accordance with AIS-091(Part 2): 2012, as amended from time to time, till such time the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act,1986 (63 of 1986).”;
- (iv) after sub-rule (13), the following sub-rule shall be inserted, namely:-
- “(14) On and after the 1<sup>st</sup> day of October, 2017, the front coupling device of agricultural tractor shall be in accordance with AIS-109:2012, as amended from time to time, till such time the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act,1986 (63 of 1986).”.
8. In the principal rules, in rule 124B,-
- (i) in sub-rule (1),-
- (a) for the words “The lamps and bulbs used on power tillers for-” the words and figures “The bulbs used on the following lighting and light- signaling devices on power tillers manufactured on and after the 1<sup>st</sup> day of October, 2017 in the case of new models and on and after the 1<sup>st</sup> day of April, 2018 in case of existing models-,” shall be substituted;
- (b) for the words and figures “AIS 034:2004”, the words and figures “AIS-034 (Part 1)(Rev.1): 2010,” shall be substituted;
- (c) in sub-rule (1), the following provisos shall be inserted, namely:-
- “Provided that the S1 and C21 categories of bulbs specified in AIS-034 (Part 1) (Rev.1) : 2010, as amended from time to time, shall not be permitted for use in lighting and light-signaling devices specified above on power tillers manufactured on and after the dates specified in this sub-rule:



Provided further that the R2 category of bulbs specified in AIS-034 (Part 1) (Rev.1) : 2010, as amended from time to time, shall not be permitted for use in headlamps for power tillers manufactured on and after 1<sup>st</sup> day of October 2017.”.

9. In the principal rules, in rule 125, in sub-rule (2),-

(i) for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

“Provided that-

(a) for L5 category (three wheeled vehicles) without body work and L1 and L2 categories (two wheeled vehicles) manufactured on and after the 1<sup>st</sup> day of October, 2017 in the case of new models and on and after the 1<sup>st</sup> day of April, 2018 in case of existing models, the rear view mirror specification and installation requirements shall be as specified in AIS-001 (Part 2) (Rev.1): and AIS-002 (Part 2)(Rev.1): respectively, as amended from time to time, till such time corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act,1986 (63 of 1986).”;

(b) for L5 category (three wheeled vehicles) with body work manufactured on and after the 1<sup>st</sup> day of October, 2017 in the case of new models and on and after the 1<sup>st</sup> day of April, 2018 in case of existing models, the rear view mirror specification and installation requirements shall be as specified in AIS-001 (Part 1) (Rev.1): 2011 and AIS-002 (Part 1) (Rev.1): 2011 respectively, as amended from time to time, till such time corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act,1986 (63 of 1986).”;

(c) for M and N category vehicles manufactured on and after the 1<sup>st</sup> day of October, 2017 in the case of new models and on and after the 1<sup>st</sup> day of October, 2018 in case of existing models, the rear view mirror specification and installation requirements shall be as specified in AIS-001 (Part 1) (Rev.1) : 2011 and AIS-002 (Part 1) (Rev.1): 2011, respectively, as amended from time to time, till such time corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act,1986 (63 of 1986).”;

(ii) on and after the 1<sup>st</sup> October, 2016, in the third proviso, for the letters and figures “AIS-001:2001”, the letters, figures, brackets and words “AIS-001 (Part 1) (Rev.1) : 2011” shall be substituted.

10. In the principal rules, after rule 125H, the following rule shall be inserted, namely:-

“**125I Construction and Approval of Agricultural Trailers.**—The testing and approval of agricultural trailers manufactured on and after the 1<sup>st</sup> day of April, 2018 for compliance to these rules shall be in accordance with AIS-112:2012, amended from time to time, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986).”.

11. In the principal rules, in rule 126, after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided further that the procedure for type approval and certification of agricultural tractors for compliance to these rules shall be in accordance with AIS-017 (Part 2) (Rev.2): 2016, as amended from time to time.”.

[F. No. RT-11028/11/2014-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2<sup>nd</sup> June, 1989 and last amended vide notification number G.S.R. \_(E) dated \_.